गोपनीय
मुहरबंद

बिहार सरकार
खेल विभाग
मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु संलेख

विषय :– नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 33 (तैंतीस) संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति।

राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य राज्य खेल अकादमी के माध्यम से राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक प्रशिक्षण (आवासीय एवं गैर आवासीय) एवं अन्य आवश्यक सुविधा प्रदान करना एवं राज्य में विभिन्न खेलों का अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए आधुनिकतम खेल अवसंरचना का निर्माण कर राज्य के युवाओं की खेल प्रतियोगिता में अधिकाधिक प्रतिभागिता, प्रतिभा का चयन एवं खेल के प्रति जागरूकता लाना है। क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/आई0पी0एल0 क्रिकेट मैचों/लीग मैचों के आयोजनार्थ एवं प्रशिक्षण (आवासीय एवं गैर आवासीय) हेतु बी0सी0सी0आई0 मानक के अनुरूप क्रिकेट स्टेडियम तैयार करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

2. राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर में वर्तमान में कुल 24 खेल विधा (क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी, वालीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जुडो, ताईक्वाण्डो, लॉन टेनिस, हैण्डबॉल, साईक्लिंग, तैराकी, कबड्डी, कुश्ती, भारत्तोलन, बॉक्सिंग, वुशु, तलवारबाजी, स्क्वैश, तीरंदाजी, निशानेबाजी, टेबल टेनिस, बिलियर्ड) का आयोजन एवं प्रशिक्षण हो सकेगा।

3. क्रिकेट स्टेडियम में लगभग 40 हजार दर्शकों की क्षमता तथा पवेलियन, रिवर्स पवेलियन, जेनरल स्टैण्ड, मीडिया, हॉस्पीटैलिटी, कैटरिंग, वी0आई0पी0, प्लेयर्स स्टैण्ड, अभ्यास क्रिकेट पिच सहित पार्किंग की सुविधा होगी। राज्य खेल अकादमी में अभ्यास एवं प्रतिस्पर्धा हेतु आउटडोर स्पोर्टस एरिना में एथलेटिक ट्रैक (सिंथेटिक) फुटबॉल मैदान सहित, हॉकी फिल्ड (एस्ट्रोटर्फ), बास्केटबॉल कोर्ट, वालीबॉल कोर्ट, हैण्डबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, स्वीमिंग पूल, साईक्लिंग वेलोड्रम एवं फुटबॉल मैदान की

व्यवस्था तथा इण्डोर स्पोर्ट्स एरिना में 05 हॉल होगी, जिसमें कुश्ती, भारोत्तोलन, वालीबॉल, बैडमिन्टन, बिलियर्ड, तीरंदाजी, शूटिंग, जूडो, बॉक्सिंग, ताईक्वाण्डो एवं बहुद्देशीय हॉल की व्यवस्था है।

4. राज्य खेल अकादमी के संचालनार्थ एवं प्रशासनिक नियंत्रण हेतु एक प्रशासनिक भवन का निर्माण (इण्डोर स्पोर्ट्स एरिना के बीच) किया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक खण्ड के अतिरिक्त इस भवन में भू–तल पर ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स म्यूजियम, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स मेडिसीन, स्पोर्ट्स सांइस एवं कैन्टीन के लिए संरचना का निर्माण किया जा रहा है।

5. राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के परिसर एवं खेल एरिना के रख–रखाव/सौन्दर्यीकरण/बागवानी/सुरक्षा/संरक्षण/अनुरक्षण/साफ–सफाई/असैनिक कार्य/ विद्युत व्यवस्था/जलापूर्ति व्यवस्था/अग्नि सुरक्षा एवं अन्यान्य कार्य भवन निर्माण विभाग/विद्युत विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाना है।

6. राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के सुगम संचालन के निमित छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय स्तर पर वरीय पदाधिकारियों की समिति गठित करते हुए पटियाला, सोनीपत (हरियाणा) एवं नई दिल्ली में स्थित देश के उत्कृष्ट खेल अकादमी एवं क्रिकेट स्टेडियम के गठन व संचालन के स्वरूप एवं उनकी कार्य प्रणाली के अध्ययनोपरांत प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के सुगम संचालन हेतु प्रस्तुतिकरण विभागीय स्तर एवं उच्च स्तर पर समीक्षोपरांत आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में इसके सुगम संचालन का स्वरूप निर्धारित किया गया है।

7. राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 33 (तैंतीस) संविदा आधारित पदों के सृजन का प्रस्ताव है :–

क्र. स.	पद का नाम	पद की संख्या	मानदेय	योग्यता एवं वेतनमान
1	**वार्डन**	2	**25,000/–**	स्नातक डिग्री (हाउसकिपिंग प्रबंधन पृष्ठभूमि वाले को प्राथमिकता)
2	**खेल मनोवैज्ञानिक**	1	**40,000/–**	खेल मनोविज्ञान में स्नातक डिग्री
3	**स्पोर्ट्स फिजियो**	2	**35,000/–**	स्नातक डिग्री एवं शरीर विज्ञान में डिप्लोमा (रिकवरी)
4	**जिम इन्स्ट्रक्टर**	2	**35,000/–**	स्नातक एवं जिम संचालन का अनुभव (खेल पृष्ठभूमि वाले को प्राथमिकता)
5	**योगा इन्स्ट्रक्टर**	1	**35,000/–**	योग विषय में स्नातक डिग्री
6	**यंग स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स**	25	**40,000/–**	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समक्षक (न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव सहित) अनिवार्य योग्यता–मान्यता प्राप्त संस्थान स्पोर्ट्स मैनेजमेन्ट अथवा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीधारक अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेन्ट।
	कुल	33		–

8. उक्त सृजित किये जाने वाले संविदा आधारित पदों पर कुल **₹ 1,51,80,000 (एक करोड़ एक्यावन लाख अस्सी हजार रुपये)** मात्र वार्षिक व्यय अनुमानित है, जो राज्य सरकार को वहन करना होगा (**अनुलग्नक–'1' संलग्न**)।

9. सृजित किये जाने वाले इन संविदा आधारित पदों पर होने वाले व्यय का वहन मांग संख्या–52 के अधीन किये जाने हेतु बजट शीर्ष खोलने हेतु प्रक्रिया किया जायेगा।

10. राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के नियंत्री–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर होंगे तथा निदेशक, राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खेल विभाग, बिहार होंगे। इसके स्थापना के विपत्रादि की निकासी अनुमंडल कोषागार, राजगीर, नालन्दा से होगी।

11. निदेशक, राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर संस्था के सुगम संचालन से संबंधित वार्षिक बजट आकलन कर आवंटन हेतु निदेशक, खेल निदेशालय के माध्यम से अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, खेल विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेंगे।

12. प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 24.07.2024 की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–8286, दिनांक 01.08.2024 के क्रमांक–10 द्वारा उक्त पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु सहमति प्राप्त है (प्रति संलग्न)।

13. प्रस्ताव एवं संलेख पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

14. उपर्युक्त कंडिका–8 एवं 9 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रार्थित है।

BRajendra 5-8-2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3 / खेल 1–15 / 2012(खण्ड)1131 / पटना, दिनांक–05.08 / 2024

प्रतिलिपिः–संलेख की 50 प्रतियों के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ उपस्थापना हेतु प्रेषित।

BRajendra 5-8-2024

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुलग्नक–1

नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के 33 (तैंतीस) पदों के सृजन (संविदा आधारित) पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी

क्र0	पदनाम	आवश्यकतानुसार पदों की संख्या	मानदेय	वार्षिक मानदेय
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	वार्डन	2	25000	600000
2	खेल मनोविज्ञानिक	1	40000	480000
3	स्पोर्ट्स फिजियो	2	35000	840000
4	जिम इन्स्ट्रक्टर	2	35000	840000
5	योगा इन्स्ट्रक्टर	1	35000	420000
6	यंग स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स	25	40000	12000000
	लघु योग	**33**		**15180000**

(एक करोड़ एकावन लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र

Rajendra 5-8-2014

(डॉ० बी० राजेन्दर)
प्रधान सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

जाँच पत्र

1.	विभाग का नामः–	खेल विभाग
2.	संचिका संख्या :–	3/खेल 1–15/2012(खण्ड)
3.	प्रस्ताव का विषय :–	नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 33 (तैंतीस) संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति।
4.	क्या हर संलेख के ऊपर विषय साफ लिख दिया गया है एवं उपांत में गोपनीय/मुहरबंद लिखा गया है?	हाँ
5.	क्या प्रस्ताव संबंधी सभी मुख्य बातों का उल्लेख संलेख में कर दिया गया है?	हाँ
6.	जिन विभागों के परामर्श अपेक्षित था, क्या वे संलेख में सहमत हैं?	हाँ
7.	व्यय मूलक सभी प्रस्तावों में वित्त विभाग की सहमति ले ली गयी है, बजट उपबंध किया जा चुका है, तो लागत व्यय विवरणी संलेख में संलग्न कर दिया गया है या नहीं एवं इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है या नहीं?	आवश्यक नहीं
8.	यदि वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या किसी अन्य विभाग की सहमति प्राप्त की गयी है तो उन विभागों द्वारा जिन बिन्दुओं पर सहमति दी गयी है और यदि कोई शर्त लगाये गए हैं तो उनका स्पष्ट उल्लेख संलेख में किया गया है और प्रस्ताव तदनुसार है?	आवश्यक नहीं
9.	क्या संलेख पर मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं इसे संलेख में लिख दिया गया है?	हाँ
10.	क्या संलेख वाली संचिका के साथ अन्य सृजित संचिकायें जमा की गई है और उन्हें निर्देश अंकित कर दिया गया है।	आवश्यक नहीं
11.	क्या नये पदों के सृजन एवं उत्क्रमण के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति विभाग की सहमति के अतिरिक्त यदि योजना मद में हो तो योजना विभाग और गैर योजना मद में हो तो प्रशासी	प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 24.07.2024 को सम्पन्न बैठक में सहमति प्राप्त है।

	पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त कर ली गयी है?	
12.	ऐसे मामले में जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी है क्या लोक सेवा आयोग के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर दी गयी है?	आवश्यक नहीं
13.	सेवाओं में और पदों पर नियुक्ति के मामले में :–	आवश्यक नहीं
क	क्या संलेख में हर उम्मीदवार की योग्यताओं का पूरा–पूरा उल्लेख कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
ख	क्या सीधी भर्ती वालों के पूर्व वृत सत्यापित कर लिये गये हैं?	आवश्यक नहीं
14.	प्रोन्नति का सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका है, जिसमें अनु. जाति एवं अनु. जनजातियों के लिए स्थानीय आरक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रस्तावित नियुक्ति में आरक्षण का लिहाज रखा गया है और यदि नहीं तो उसका कारण एवं इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति ली गयी है या नहीं?	आवश्यक नहीं
15.	(1) क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों ने सेवा नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित सभी अर्हता और शर्त पूरी कर ली है?	आवश्यक नहीं
	(2) जिस पद पर प्रोन्नति प्रस्तावित है वह स्थायी रूप से स्वीकृत है या अस्थायी?	आवश्यक नहीं
	(3) प्रोन्नति स्थायी/परीक्ष्यमाण या स्थायी रूप से प्रस्तावित है?	आवश्यक नहीं
16.	क्या संपुष्टि या प्रोन्नति विषयक प्रस्तावों में अंतिम रूप से वरीयता निर्धारित है और यदि किसी का अवक्रमण (सुपरलेसन) है, तो क्या संलेख में इसके कारण का उल्लेख कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
17.	प्रोन्नति या मौलिक नियुक्ति के मामलों में :–	आवश्यक नहीं
क	क्या प्रोन्नति या नियुक्ति किये जाने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध किन्हीं अभियोग के संबंध में कोई कार्रवाई की जा रही है?	आवश्यक नहीं
ख	यदि कोई कार्रवाई की जा रही है तो क्या इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
ग	क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त है।	आवश्यक नहीं
18	क्या लोक सेवा आयोग के अनुशंसा की प्रत्याशा में	आवश्यक नहीं

	तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति का उसके अवधि विस्तार के प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच कर ली जाएः–	
(क)	(i) लोक सेवा आयोग को अधियाचना पत्र किसी पत्र से कब भेज गया है?	आवश्यक नहीं
	(ii)क्या लोक सेवा आयोग की अनुशंसा तीन महीने से अधिक अवधि से लंबित है?	आवश्यक नहीं
	(iii)क्या लोक सेवा आयोग द्वारा कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है तो विभाग से भेजना लंबित है?	आवश्यक नहीं
	(iv)वर्त्तमान तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति सर्वप्रथम कब स्वीकृत की गयी थी और कितने दिनों से अवधि विस्तार हो रहा है?	आवश्यक नहीं
	(v)नियुक्ति/प्रोन्नति को नियमित करने में विलंब का कारण क्या है?	आवश्यक नहीं
(ख)	(i)क्या तदर्थ प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में वरीयता या अन्य किसी बिन्दु पर विवाद है?	आवश्यक नहीं
	(ii) कोई प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित है?	आवश्यक नहीं
	(iii)किसी आरक्षित पद को अनारक्षित करने का प्रस्ताव निहित है?	आवश्यक नहीं
(ग)	क्या लोक सेवा आयोग के सदस्यों को छोड़कर विभागीय प्रोन्नति समिति के अन्य सदस्यों की बैठक में प्रस्तावित तदर्थ नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है?	आवश्यक नहीं
19.	अस्थायी पद की अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से प्राप्त प्रस्ताव के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका दी गई है, जिसें यह स्पष्ट किया गया है कि विलंब क्यों हुआ और दोषी पदाधिकारियों को दंड देने के लिए विभाग ने कौन सी कार्रवाई की गयी है ?	आवश्यक नहीं
20.	क्या संलेख प्रधान सचिव/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है या नहीं (संलेख पर प्रधान सचिव/सचिव की अनुपस्थिति में ही संयुक्त सचिव या इससे उच्चतर पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए)।	हाँ
21.	संलेख कम्प्यूटर टंकित करने के बाद उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा उसे पढा गया है या नही तथा संलेख की प्रति स्वच्छ एवं स्पष्ट है या नहीं।	हाँ
22.	क्या संलेख को प्रधान सचिव/सचिव ने देखा है या नहीं? (संलेख उनके माध्यम से ही विभागीय	हाँ

	मंत्री के पास भेजा जाना चाहिए)	
23.	संलेख के साथ प्रेस नोट संलग्न है या नहीं?(प्रेस नोट 35 प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
24.	कार्यान्वयन अनुसूची संलग्न है या नहीं? (कार्यान्वयन अनूसुची 5(पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
25	जाँच पत्र संलग्न है या नही? (जाँच पत्र 5(पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
26	संलेख की प्रतियाँ संलग्न है या नही? (संलेख की 3(तीन) मूल हस्ताक्षरित प्रतियाँ तथा 50 (पचास) छाया प्रति संलग्न किया जाना चाहिए। संलेख की एक मूल हस्ताक्षरित प्रति विभाग की संचिका में रहनी चाहिए)।	हाँ

BRajendra 5-8-2024

(**डॉ0 बी0 राजेन्दर,** भा.प्र.से.)
सरकार के प्रधान सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

अनुलग्नक–III

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् विभागों द्वारा अनुपालन हेतु

:– कार्यान्वयन अनुसूची का विवरण :–

विभाग का नाम :– खेल विभाग।

संचिका संख्या :– 3/खेल 1–15/2012(खण्ड)

विषय :– नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 33 (तैंतीस) संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति।

निर्णय का सारांश	योजना, लाभ/फलाफल	समय सीमा एवं कार्यान्वयन की रिति/मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रतिवेदित किया जाना (अधिकतम सात दिन)
नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 33 (तैंतीस) संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति।	राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर में वर्तमान में कुल 24 खेल विधा (क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी, वालीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जुडो, ताईक्वाण्डो, लॉन टेनिस, हैण्डबॉल, साईक्लिंग, तैराकी, कबड्डी, कुश्ती, भारत्तोलन, बॉक्सिंग, वुशु, तलवारबाजी, स्क्वैश, तीरंदाजी, निशानेबाजी, टेबल टेनिस, बिलियर्ड) का आयोजन एवं प्रशिक्षण हो सकेगा।	एक सप्ताह।

हस्ताक्षर :– Rajendra 5-6-2014

नाम :– **(डॉ बी0 राजेन्दर),**

पदनाम :– सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार

<u>खेल विभाग</u>

।। प्रेस नोट।।

राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य राज्य खेल अकादमी के माध्यम से राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक प्रशिक्षण (आवासीय एवं गैर आवासीय) एवं अन्य आवश्यक सुविधा प्रदान करना एवं राज्य में विभिन्न खेलों का अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए आधुनिकतम खेल अवसंरचना का निर्माण कर राज्य के युवाओं की खेल प्रतियोगिता में अधिकाधिक प्रतिभागिता, प्रतिभा का चयन एवं खेल के प्रति जागरूकता लाना है। क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/आई0पी0एल0 क्रिकेट मैचों/लीग मैचों के आयोजनार्थ एवं प्रशिक्षण (आवासीय एवं गैर आवासीय) हेतु बी0सी0सी0आई0 मानक के अनुरूप क्रिकेट स्टेडियम तैयार करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर में वर्तमान में कुल 24 खेल विधा (क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी, वालीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जुडो, ताईक्वाण्डो, लॉन टेनिस, हैण्डबॉल, साईक्लिंग, तैराकी, कबड्डी, कुश्ती, भारत्तोलन, बॉक्सिंग, वुशु, तलवारबाजी, स्क्वैश, तीरंदाजी, निशानेबाजी, टेबल टेनिस, बिलियर्ड) का आयोजन एवं प्रशिक्षण हो सकेगा।

नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 33 (तैंतीस) संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

BRajendr 5-8-2014

(**डॉ0 बी0 राजेन्दर,** भा.प्र.से.)
सरकार के प्रधान सचिव।
खेल विभाग, बिहार, पटना।